International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume 6 Issue 6, September-October 2022 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

भारतीय बैंको की लाभप्रदता पर विलय का प्रभाव-एक तुलनात्मक अध्ययन: विशेष संदर्भ आई सी आई सी आई बैंक एवम बैंक ऑफ राजस्थान

मीनाक्षी नाग[1], महरूख मिर्जा[2]

[1]शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
[2]प्रोफ़ेसर,वाणिज्य विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

सार

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय इस क्षेत्र के लिए लंबे समय से अपेक्षित सकारात्मक कदम हो सकता है। लेकिन विस्तारित सप्ताहांत के बाद स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद-फरोख्त शुरू होने पर इन बैंकों के शेयर मूल्य में इस प्रकार की धारणा नहीं दिखी। प्रमुख बैंकों यानी छोटे फ्रैंचाइजी का विलय करने वाले बैंक के शेयरों में 8 से 12 फीसदी के दायरे में गिरावट दर्ज की गई। दिलचस्प है कि बैंकों के विलय को लेकर निवेशक अधिक उत्साहित नहीं दिखे। बड़े बैंकों के लिए इस पहल से पूंजी पर्याप्तता संबंधी समस्याएं दूर नहीं होंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनमें छोटे बैंकों को समाहित करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, घोटाले के शिकार को वृद्धि के लिहाज से वापसी करना है। साथ ही उसे परिसंपत्ति गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से भी निपटना है। लेकिन उसे अपने 15.5 फीसदी के गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) अनुपात को एक स्वीकार्य स्तर तक घटाने में कुछ तिमाही लग सकती है। इसके अलावा परिसंपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर भी बैंकों खासकर बड़े सरकारी बैंकों आई सी आई बैंक एवम बैंक ऑफ राजस्थान को वृद्धि से समझौता किए बिना अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए चालू वित्त वर्ष (2019-20) को वृद्धि का वर्ष माना जा रहा है। सुदृढीकरण के मामलों से पता चलता है कि प्रबंधन के एकीकरण की प्रक्रिया में कितना समय लगता है जिसका वृद्धि और वित्तीय स्थिति पर परवर्ती प्रभाव हो सकते हैं।

नोमुरा के विश्लेषकों ने कहा, 'बैंकों के विलय से निकट भविष्य में वृद्धि और लाभप्रदता पर असर दिख सकता है।' उन्होंने कहा, 'पहले के विलय मामलों में थोड़े समय के लिए बहीखाते तो दुरुस्त हो गया लेकिन इससे अन्य लागत बढ़ गई।' इसलिए विलय का लंबी अवधि में होने वाला फायदा सबको पता है लेकिन निकट भविष्य में वृद्धि के बारे में बाजार की धारणा को विश्लेषकों ने पूरी तरह सकारात्मक करार नहीं दिया है। कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि विलय से ऋण की सीमित उपलब्धता जैसी मौजूदा समस्याएं दूर नहीं हो सकतीं। क्रेडिट सुइस के विश्लेषकों का कहना है कि पहले के मामलों पर गौर करने से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय से वाहन क्षेत्र में नरमी एवं सर्तकता बढने के कारण निजी बैंकों के लिए वृद्धि की रफ्तार सुस्त पडने और ऋण वितरण में सुधार नहीं हो सकता। ब्रोकरेज फर्म ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए बैंक उधारी की उपलब्धता पर सतर्क रहने की ओर इशारा किया है।

How to cite this paper: Meenakshi Nag | Mahrukh Mirza "Effect of Merger on the Profitability of Indian Banks - A Comparative Study: Special Reference ICICI Bank and Bank of Rajasthan" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-6, October 2022, pp.1995-2002, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd52199.pdf

IJTSRD52199

Copyright © 2022 by author (s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

परिचय

यह महसूस किया गया कि विलय कठिन होगा (सरकार द्वारा घोषित दूसरे बैंकिंग विलयों के मुकाबले), क्योंकि इसमें दो मध्य-आकार के लेकिन लगभग समान आकार एवं 100 से ज्यादा वर्षों की विरासत एवं समृद्ध इतिहास वाले बैंकों आई सी आई बैंक एवम बैंक ऑफ राजस्थान का विलय होना था। आकार के अलावा बैंकों की भौगोलिक अवस्थिति भी बिल्कुल अलग । दोनों बैंकों के कर्मचारियों का सांस्कृतिक परिवेश, बोलचाल आदि एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे जिसके कारण इसलिए कर्मियों के एकीकरण को बड़ी चुनौती माना गया। एक तरफ विलय की प्रक्रिया जारी थी तो वहीं जनवरी 2020 से अगस्त 2020 की अवधि के दौरान 10 से अधिक महाप्रबंधक सेवानिवृत्ति के कगार पर थे, जिसके चलते नेतृत्व क्षमता की कमी होने वाली थी। इसके अलावा कोविड-19 महामारी और इसके विस्तार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण भी कई चुनौतियां आ खड़ी हुई थीं।[1,2] बैंक इन सभी समस्याओं का निष्पक्षता तथा पारदर्शिता के साथ समाधान करने में कामयाब रहा और

कर्मचारियों एवं ग्राहकों के साथ निरंतर संवाद बना रहा। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि संपूर्ण एकीकरण प्रक्रिया का हमारे ग्राहकों और ग्राहक-संबंधी कार्यों पर कम से कम प्रभाव पड़े। बैंक विलय से पहले की सभी प्रक्रियाओं को पहले ही पूरा करने पर ध्यान दे रहा था, जिससे विलय को निर्बाध पूरा किया जा सके। विकास की प्रक्रिया को लगातार चलाने के लिए लागत में कमी, बेहतर लाभप्रदता, व्यापक उत्पाद उपलब्ध कराना और तकनीक के उपयोग से बड़े पैमाने पर लाभ हुए। विशेष रूप से, आईटी हार्डवेयर, लाइसेंस तथा एएमसी में निवेश ने एक बड़ा धमाका किया।

बढ़े हुए सीएएसए के चलते बेहतर उत्पाद मूल्य निर्धारण हुआ एवं लाभप्रदता में वृद्धि के साथ ही लागत में कमी आई। नई बैंक शाखाओं, एटीएम और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के नेटवर्क में वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यापार में वृद्धि होगी। बैंक की बाजार हिस्सेदारी जमा तथा अग्रिम में क्रमश: 1.79 प्रतिशत और 1.80 प्रतिशत थी। विलय के बाद, संयुक्त इकाई का हिस्सा क्रमश: 3.46 प्रतिशत और 3.47 प्रतिशत हो गया है। मार्च 2020 में कुल जमा अनुपात में सीएएसए की हिस्सेदारी 34.6 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2020 में 41 प्रतिशत हो गई। विलय के चलते सीएएसए में वृद्धि से जमा की लागत कम हो गई है। बैंक ने पहले ही 2020-21 में किराये, बिजली तथा अन्य प्रशासनिक लागत में बचत के साथ ही प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, विज्ञापन तथा प्रचार, डाक, आदि में लगभग 22 करोड़ रुपये की बचत की है। आई सी आई बैंक एवम बैंक ऑफ राजस्थान विलय से ग्राहक आधार में भी बढ़ोतरी हुई है जिससे कारोबारी संभावनाओं में बढ़ोतरी होगी। राजकोष प्रबंधन में सुधार होगा तथा अधिशेष अचल संपत्तियों का युक्तियुक्त प्रबंधन होगा।जहां तक आईटी लागत तालमेल की बात है, तो डीसी/डीआर केंद्रों, एएमसी, लाइसेंस, विक्रेताओं के युक्तिकरण के कारण साल 2020-21 में लगभग 145 करोड़ रुपये की बचत हुई है। खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई प्रस्तावों के लिए सभी जोन के केंद्रों में प्रसंस्करण केंद्रों का संचालन हो रहा है।[3,4]

आज की तारीख में बैंक ने 25 जोनल कार्यालयों, कोलकाता में इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय, 12 करेंसी चेस्ट, 5 कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र, 5 सेवा शाखाओं और 3 बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं के अलावा 180 शाखाओं को पुनर्गठित किया है। हमने इस वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले अन्य 50 शाखाओं को पुनर्गठित बनाने की योजना बनाई है।

70 अन्य शाखाओं की पहचान की गई है, जिन्हें अगले 6-9 महीनों के दौरान पुनर्गठित किया जाएगा। लगभग 2,000 कर्मचारी सदस्यों को एक एकीकरण प्रक्रिया के तहत बदला जाएगा। 1 अप्रैल, 2020 के बाद से 94 कर्मचारियों ने वीआरएस का विकल्प चुना है। वित्त वर्ष 2021-22 में 10-12 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र पहले से ही कुल अग्रिम का 56 प्रतिशत है। इनके साथ साथ कारोबारी क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। साल 2024-25 तक, हम अपने शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) को 3.21 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहते हैं और शुद्ध एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) को घटाकर 1.31 प्रतिशत करना चाहते हैं। वर्तमान में, वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही के अनुसार एनआईएम 3.13 प्रतिशत था तो वहीं दिसंबर 2020 तक एनपीए 2.35 प्रतिशत था। दिसंबर 2020 तक बैंक का सीआरएआर (कैपिटल-टू-रिस्क वेटेड एसेट्स या पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात) 14.06 प्रतिशत है, जो नियामकीय आवश्यकता से अधिक है। हमने दिसंबर 2020 में 2,000 करोड़ रुपये के एटी-1 बॉन्ड जारी किए और जनवरी 2021 में 2,000 करोड़ रुपये के टीयर 2 बॉन्ड्स लाए हैं। क्यूआईपी / एफपीओ / राइट्स इश्यू के जरिए 4,000 करोड़ रुपये तक की इक्विटी कैपिटल जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी भी उपलब्ध है। [5,6]

विचार-विमर्श

अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में घोषणा की थी कि भारत सरकार के स्वामित्व वाले 10 बैंकों का चार बड़े बैंकों में विलय कर दिया जाएगा। बैंक विलय संबंधी आई सी आई बैंक एवम बैंक ऑफ राजस्थान इस निर्णय के पश्चात् देश में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या 18 से घटकर 12 रह जाएगी। इससे पूर्व बीते वर्ष ही सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया था। भारत में बैंकों का विलय कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश में इसका एक लंबा इतिहास रहा है। बैंकों के विलय आई सी आई बैंक एवम बैंक ऑफ राजस्थान की प्रक्रिया को समय-समय पर देश और विदेश में बैंकिंग प्रणाली में सुधार हेतु अपनाया जाता रहा है।

- विलय का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें दो मौजूदा कंपनियाँ मिलकर एक नई और मज़बूत कंपनी का निर्माण करती हैं।
- आमतौर पर विलय के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं:
  - कंपनी की पहुँच का विस्तार करना।
  - नए क्षेत्रों में कंपनी का विस्तार करना।
  - कंपनी की बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाना।
- विदित है कि विलय दो कंपनियों का स्वैच्छिक संलयन होता है।
- विलय और अधिग्रहण में अंतर
- विलय तब होता है जब दो अलग-अलग इकाइयाँ एक नया संयुक्त संगठन बनाने के लिये साथ आती हैं।
- इसके विपरीत अधिग्रहण का आशय उस स्थिति से होता है जिसमें कोई बड़ी इकाई किसी छोटी इकाई की परिसंपत्तियों और देनदारियों को स्वेच्छा से अधिगृहीत कर लेती है।[7,8]

बैंकों के विलय संबंधी कानूनी प्रावधान

भारत में बैंकों के विलय संबंधी दिशा-निर्देश बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 44A के अंतर्गत दिये गए हैं। उल्लेखनीय है कि बैंकिंग कंपनियों के विलय हेतु भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI) से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बैंकिंग कंपनियों के विलय हेतु यह आवश्यक है कि सभी पक्षों के कम-से-कम दो-तिहाई शेयरधारकों द्वारा इस विलय की अनुमति दी जाए।

भारत में बैंकों के विलय का इतिहास

बैंकों की स्थिति को सुधारने और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिये भारत में बैंक विलय की प्रक्रिया 1960 के दशक में शुरू हुई थी।

- वर्ष 1969 को भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण वर्ष माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष इंदिरा गांधी की सरकार ने देश की बैंकिंग प्रणाली को पूर्णतः बदलते हुए देश के 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। वर्ष 1969 के बाद वर्ष 1980 में भी देश के 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- भारतीय बैंक संघ के आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 1985 से अब तक देश में छोटे-बड़े कुल 49 बैंकों का विलय हो चुका हैं। देश के कुछ महत्त्वपूर्ण बैंक विलय निम्नानुसार हैं:
  - वर्ष 1993-94 में पंजाब नेशनल बैंक और न्यू इंडिया बैंक का विलय किया गया था, उल्लेखनीय है कि यह देश का पहला दो राष्ट्रीय बैंकों का विलय था।
  - वर्ष 2004 में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलय।
  - वर्ष 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और SBI का विलय।
  - वर्ष 2017 में SBI और उसके 5 सहयोगी बैंकों का विलय।[9,10]

बैंकिंग सुधार - बैंकों का राष्ट्रीयकरण

- विश्व में 1950 के दशक से पूर्व बैंकिंग क्षेत्र का संचालन मुख्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा किया जा रहा था।
- द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल देशों को हुई गंभीर आर्थिक हानि के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा था। इससे उबरने के लिये विभिन्न देशों विशेषकर यूरोपीय देशों द्वारा कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि इन देशों को कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।
- स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी तथा गरीबी के साथ ग्रामीण-शहरी अंतराल भी अत्यधिक था। सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र में अधिक सुधार नहीं हो पा रहा था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के समक्ष पूंजी की भी बड़ी समस्या थी क्योंकि संसाधन सीमित थे।
- उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1969 में सरकार ने 14 बैंकों (जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी) का राष्ट्रीयकरण किया। बाद में 1980 में भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- सरकार ने समय-समय पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ इन्हीं उद्देश्यों के चलते कुछ बैंकों का विलय भी किया है।
- राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों की खराब स्थिति में तेज़ी से सुधार हुआ। वर्ष 1969 से पूर्व बैंकों की सिर्फ लगभग 8 हज़ार शाखाएँ थीं जो वर्ष 1994 में बढ़कर 60 हज़ार तथा वर्ष 2014 में 1 लाख 15 हज़ार के करीब पहुँच गईं।

बैंक विलय के फायदे

- देश में बैंकों का विलय कर उन्हें बड़ा बनाने के पीछे सबसे प्रमुख तर्क यह दिया जाता है कि इससे भारतीय बैंक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करने में सक्षम हो जाएंगे।
- बैंकों के विलय से उनकी परिचालन लागत (Operation Cost) में भी कमी आती है।
- इसके प्रभाव से बैंकों का NPA प्रबंधन और अधिक कुशल हो जाता है।
- विलय से बैंकों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि देखी जाती है।
- जब दो या दो से अधिक बैंक एक साथ आते हैं तो उनकी कुल परिसंपत्ति में भी वृद्धि होती है, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती है और वे ग्राहकों को बड़ा लोन ऑफर कर पाते हैं।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बिना राज्य के कोष की मदद लिये और अधिक संसाधन जुटाने में मदद करता है।[11]
- बैंकों के विलय से बैंकिंग सेवाओं का दायरा भी बढ़ जाता है और ग्राहकों को देश भर में आसानी से बैंकिंग सेवाएँ मिल जाती हैं।
- बैंकों के मध्य चल रही नकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा समाप्त हो जाती है।
- सरकार पर सार्वजानिक बैंकों के वित्तपोषण का बोझ कम हो जाता है।
- बैंकों की संख्या जितनी कम होती है उन पर नियंत्रण करना भी उतना ही आसान होता है।
- BASEL III के कठोर मापदंडों को पूरा करने में भी बैंकों को मदद मिलती है।
- इसके परिणामस्वरूप भारतीय बैंकिंग प्रणाली और अधिक सशक्त होती है।

बैंकों का विलय और नरसिंहम समिति

- बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिये सरकार ने वर्ष 1991 में एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बैंकिंग क्षेत्र में चार स्तरीय ढाँचे की व्यवस्था की जाए जिसमें तीन या चार बड़े बैंक होंगे। SBI इसमें शामिल होगा और इसे शीर्ष स्थान प्राप्त होगा तथा यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना कार्य कर सकेगा।
- इसके अलावा वर्ष 1998 में भी सरकार द्वारा एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया था। इस समिति का मुख्य कार्य भारत के बैंकिंग सुधारों की समीक्षा करना और उसके लिये उपर्युक्त सुझाव देना था। समिति ने अप्रैल 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कई अन्य सिफारिशों के साथ बड़े बैंकों के विलय की सिफारिश भी की थी।[8,9]

बैंक विलय का नकारात्मक पक्ष

- विशेषज्ञ सदैव ही यह मानते आए हैं कि बैंकों के विलय की प्रक्रिया सिर्फ कागज़ों पर ही होती है, क्योंकि प्रत्येक बैंक की अपनी एक अलग कार्य संस्कृति होती है एवं कुछ कानूनी कार्यवाहियों के माध्यम से उसे नहीं बदला जा सकता।

- बैंक कर्मचारी यूनियन हमेशा से बैंकों के विलय की प्रक्रिया का विरोध करते आए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसके प्रभाव से कई बैंककर्मियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और वे बेरोज़गार हो जाते हैं।
- बड़े बैंक बाज़ार की बढ़ती शक्ति के साथ एकाधिकार व्यवहार का पालन कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय आवश्यकताओं की उपेक्षा हो सकती है।
- मज़बूत बैंकों और कमज़ोर बैंकों के विलय से मज़बूत बैंकों का प्रबंधन भी कमज़ोर हो जाता है और समग्र बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय गिरावट आती है।
- यह राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के दीर्घकालिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

बैंकों का विलय और NPA की समस्या

- वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ऋण वसूली की स्थिति इतनी गंभीर रही कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए मूल्य के NPA को राइट ऑफ करना पड़ा यानी बट्टे खाते में डालना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि बैंकों ने मान लिया कि इन ऋणों की वसूली अब कभी नहीं हो पाएगी।[7,8]
- बीते कुछ समय से स्थिति यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केवल अपने NPA के कारण ही चर्चा में हैं। ऐसे में सरकार के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पटरी पर लाने के उपाय करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बैंकों के विलय से NPA की समस्या को भी संबोधित किया जा सकता है?
- इस सवाल पर कई विश्लेषकों का कहना है कि बैंकों का विलय स्वयं में उनके खातों में खराब ऋणों के समग्र आकार में कमी नहीं लाएगा। खराब ऋणों (Bad Loans) के आकार में कमी तब आएगी जब बैंक इन ऋणों की वसूली में सफल होंगे या जब ये ऋण उनकी बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर दिये जाएँ। देश में अपर्याप्त न्यायिक प्रणाली के कारण खराब ऋण की वसूली प्रक्रिया धीमी बनी हुई है और बैंक अपने खराब ऋणों को पूर्णतः राइट ऑफ करने को तैयार नहीं हैं।
- वहीं एक अन्य पक्ष यह भी मानता है कि भले ही इससे NPA को बहुत ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता, परंतु इसके कारण भविष्य में बैंकों की NPA प्रबंधन की क्षमता ज़रूर बढ़ जाएगी।

आगे की राह

- सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र की NPA दर काफी कम है, क्योंकि उन्होंने अपने ऋण की वसूली के लिये काफी सख्त प्रावधान किये हैं। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र से सीख लेते हुए ऋण वसूली के नियमों को सख्त करना चाहिये।[6,7]
- देश की बैंकिंग प्रणाली को अपने आधारभूत ढाँचे में परिवर्तन करना चाहिये और स्वयं को आधुनिक युग की बदलती आवश्यकताओं के साथ बदलने का प्रयास करना चाहिये।

परिणाम

अब इस बात पर चर्चा है कि क्या इस विलय की सच में बहुत ज़रूरत थी? भारत के मौजूदा सामाजिक-आर्थिक हालात को देखते हुए यह सवाल काफ़ी मायने रखता है.

आज से पहले इतने व्यापक स्तर पर बैंकों का विलय देखने को नहीं मिला.

देश की आज़ादी के बाद 20 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था. उस फ़ैसले का मक़सद देश की अर्थव्यवस्था में कृषि, लघु उद्योग और निर्यात पर अधिक ध्यान देना था.

इसके साथ ही नए उद्यमियों और पिछड़े तबकों का विकास करना भी एक मक़सद था. इसके बाद 13 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था. इस क़दम को भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण नीतिगत फ़ैसले के तौर पर देखा जाता है.

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले भारत की पूरी पूंजी बड़े उद्योगपतियों और औद्योगिक घरानों के ज़रिए ही नियंत्रित होती थी. उस व्यवस्था में बैंकों में पैसे जमा करने वाले के लिए किसी तरह की सुरक्षा की गारंटी नहीं थी.

वक़्त गुजरने के साथ-साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और साल 1991 में कई आर्थिक बदलाव किए गए, जिसके चलते देश का बैंकिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन गया.

इतना ही नहीं ग्राहकों और निवेशकों में भी बैंक के प्रति भरोसा बढ़ता चला गया.

पब्लिक सेक्टर के बैंकों का विलय कर उनकी संख्या कम कर देने का परिणाम शायद कुछ वक़्त बाद ही दिखने लगे या हो सकता है इसका दूरगामी परिणाम भी हमारे सामने आए.

विशेषकर मानव संसाधन, रोज़गार सृजन और अर्थव्यवस्था के विकास के लिहाज़ से यह फ़ैसला काफ़ी अहम हो सकता है.[5,6]

लेकिन फ़िलहाल इस विलय की वजहों को साफ़ तौर पर नहीं बताया गया है.

इस विलय के बाद सबसे पहला असर मानव संसाधन पर पड़ता हुआ महसूस होता है. शायद बैंकों के विलय का फ़ैसला लेते वक़्त इन बैंको में काम करने वाले कर्मचारियों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया. हर बैंक के अपने अलग नियम क़ायदे होते हैं, काम करने का अलग ढंग होता है.

उदाहरण के लिए, हाल ही में जिस तरह से भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी स्थानीय ब्रांचों का विलय किया, तो उसमें अधिक समस्याएं नहीं आईं क्योंकि एसबीआई मूलतः एक तरह के नियम और आधारभूत ढांचे के तहत काम करता है.

लेकिन पब्लिक सेक्टर के इन अलग-अलग बैंकों के मिलने से वहां काम करने वाले कर्मचारियों को कई तरह के बदलावों का सामना करना पड़ेगा. यह चुनौती इन बैंकों में नेतृत्व के स्तर पर भी देखने को मिलेगी.

अगला बड़ा सवाल यह है कि क्या इस विलय के बाद बैंकों के नॉन पर्फोर्मिंग एसेट यानी एनपीए की समस्या सुलझ जाएगी, या उस लोन पर नियंत्रण लग पाएगा जिसके वापिस मिलने की उम्मीद कम ही है. क्या इस फ़ैसले से बैंकों की काम करने की क्षमता में कुछ सुधार होगा.[4,5]

1. अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, जीडीपी पाँच प्रतिशत या उससे भी नीचे चली गई है. यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ़ बढ़ रही है.
2. बैंकों का बहुत ख़राब प्रदर्शन. बैंकों का एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया है और उसके वापिस आने की उम्मीद भी बहुत कम है.
3. देश में बेरोज़गारी की दर लगातार बढ़ रही है. यह दर्शाता है कि भारत अपनी विविधता से भरी जनसंख्या का सही लाभ नहीं उठा रहा, जनसंख्या में बहुलता की बात चुनाव के वक़्त काफ़ी इस्तेमाल किया गया.

खैर अभी तक तो यह साफ़ नहीं है कि बैंकों के इस विलय से ऊपर बताई गई समस्याओं का हल निकलेगा या नहीं.

बीते कुछ समय में सरकारी और निजी दोनों ही सेक्टर के बैंकों में एनपीए बहुत अधिक बढ़ गया है. निजी बैंकों में इस एनपीए को हासिल करने की दर सरकारी बैंकों के मुक़ाबले थोड़ा बेहतर है.

इसकी मुख्य वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की वसूली प्रक्रिया बहुत ही सख्त होती है, जिसमें बहुत ही सूक्ष्म स्तर तक क़र्ज़दाता पर नज़र रखी जाती है.

वहीं सरकारी बैंक में इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती. यह दिखाता है कि पब्लिक सेक्टर के बैंकिंग सिस्टम में भी कई तरह के बदलावों की ज़रूरत है.

एक सवाल यह भी उठता है कि क्या बड़े बैंकों के विलय से उनके काम करने की क्षमता बेहतर हो जाएगी. इसका पहला फ़ायदा तो यह हो सकता है कि बैंकों के काम का स्तर और बढ़ सकता है जिसमें क़र्ज़ देने की क्षमता और निवेश भी शामिल होगा.

वर्तमान में बैंकिंग सिस्टम में चल रहे संकट को दूर करने के लिए चार प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है.[3,4]

अगर कोई शख़्स बैंक से बड़ा क़र्ज़ लेता है और उसे चुकाने में नाकाम रहे तो उस क़र्ज़ का पूरा बोझ बैंक के ऊपर ही ना आ जाए. जैसा कि विजय माल्या और नीरव मोदी के मामलों में हुआ. बड़े क़र्ज़ देते समय बैंक अधिक सख्ती बरतें और नियमों का अधिक ध्यान रखें. जब भी कोई बड़ा कर्ज़ नहीं चुकाता तो उसका भार अकेले बैंक पर पड़ जाता है जिसका असर बाद में अर्थव्यवस्था पर पड़ता है.

बैंक अपने ग्राहकों के बारे में अधिक जानकारियां जुटाए, ग्राहकों के साथ बेहतर नेटवर्क स्थापित करे.

बैंक में लाभ को बढ़ाने और जोखिम की संभावनाओं को कम करने के लिए अधिक कुशलता और निपुणता लाने की ज़रूरत है.

वैश्वक बैंकिग सिस्टम और तकनीक में लगातार हो रहे बदलावों के हिसाब से ख़ुद को बदलते रहना चाहिए.

कुल मिलाकर देखें तो बैंकों के विलय से अलग-अलग बैकों के काम करने के तौर-तरीक़ों में समानता देखने को मिल सकेगी. वैसें बैंकों को भी अपने आधारभूत ढांचे में परिवर्तन की ज़रूरत है.

यह भी माना जा सकता है कि इस विलय के दूरगामी परिणामों के तौर पर रोज़गार की उम्मीद लगा रहे युवाओं पर असर पड़े. हो सकता है कि इसके चलते आने वाले वक़्त में बेरोज़गारी और बढ़ जाए. इसके दो प्रमुख कारण हैं.

पहला, बैंकों में नए पद तैयार नहीं होंगे. दूसरा, जो मौजूदा पद हैं उनमें अधिक लोग हो जाएंगे.

खैर, वैसे तो सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि इस फ़ैसले की वजह से किसी की नौकरी नहीं जाएगी. लेकिन कुछ वक़्त बाद हर विभाग में लोगों की संख्या अधिक ज़रूर महसूस होने लगेगी. वहीं दूसरी तरफ़, बैंकों के कुछ ब्रांच कम हो जाने से उन्हें चलाने पर होने वाला खर्च भी बचेगा.[2,3]

रोज़गार के मौक़ों में कमी का असर लंबे वक़्त में अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा. इसलिए मौजूदा वक़्त की यह मांग है कि लोगों के लिए रोज़गार के नए रास्ते तैयार किए जाएं. अगर ऐसा नहीं होता है तो दोबारा आठ प्रतिशत की जीडीपी हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा.

यही वजह है कि बड़े सरकारी बैंकों का विलय कर देना ही मौजूदा आर्थिक संकट का हल नहीं है.

निष्कर्ष

अभी अधिक समय नहीं हुआ, जब बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ और उसके बाद 1 अप्रैल से अपेक्षाकृत बड़े पूंजी आकार वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने काम करना शुरू कर दिया। यह भारत में बैंकों का पहला त्रिपक्षीय विलय है। इससे पहले 2017 में आई सी आई बैंक एवम बैंक ऑफ राजस्थान के साथ एकीकरण किया गया था। अब एक बार फिर बैंकों के पुनर्गठन की चर्चा चल रही है। इस बार ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आंध्र बैंक और इलाहाबाद बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो सकता है। दरअसल, केंद्र सरकार चाहती है कि लंबे समय से घाटे में चल रहे छोटे और क्षेत्रीय बैंकों का किसी बड़े बैंक में विलय कर दिया जाए, ताकि इनका NPA कम हो सके और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएँ दी जा सकें। कुछ छोटे और कमज़ोर बैंकों का विलय करके एक बड़ा बैंक बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ऐसे बैंकों को आकार देना है जो टिकाऊ होने के साथ-साथ अधिक ऋण देने की क्षमता भी रखते हों। दरअसल, बैंकिंग क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में NPA में लगातार बढ़ोतरी होने की वज़ह से जहाँ सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का घाटा बढ़ा है, वहीं बैंकों की परिचालन लागत भी बढ़ी है। इसके अलावा बैंकिंग सेवाओं पर सरकारी बैंकों का मार्जिन भी पहले की तुलना लगातार कम होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने दो ही विकल्प बचते हैं कि या तो इन्हें बंद कर दिया जाए या फिर इनका विलय कर दिया जाए।[1,2]

संभवतः इन समस्याओं पर विचार करते हुए घाटे में चल रहे बैंकों को मजबूत बैंकों के साथ मिलाकर उन्हें स्थिरता देने के

लिये ही भारत सरकार बैंकों का विलय कर रही है। सरकार का यह मानना है कि ऐसा करने से बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी और उनकी परिचालन लागत में भी कमी आएगी।

अभी अधिक समय नहीं हुआ, जब आई सी आई बैंक एवम बैंक ऑफ राजस्थान का विलय हुआ और उसके बाद 1 अप्रैल से अपेक्षाकृत बड़े पूंजी आकार वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने काम करना शुरू कर दिया। यह भारत में बैंकों का पहला त्रिपक्षीय विलय है। इससे पहले 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों– स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और भारतीय महिला बैंक का स्टेट बैंक के साथ एकीकरण किया गया था। अब एक बार फिर बैंकों के पुनर्गठन की चर्चा चल रही है। इस बार ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आंध्र बैंक और इलाहाबाद बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो सकता है। दरअसल, केंद्र सरकार चाहती है कि लंबे समय से घाटे में चल रहे छोटे और क्षेत्रीय बैंकों का किसी बड़े बैंक में विलय कर दिया जाए, ताकि इनका NPA कम हो सके और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएँ दी जा सकें।

कुछ छोटे और कमज़ोर बैंकों का विलय करके एक बड़ा बैंक बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ऐसे बैंकों को आकार देना है जो टिकाऊ होने के साथ-साथ अधिक ऋण देने की क्षमता भी रखते हों। दरअसल, बैंकिंग क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में NPA में लगातार बढ़ोतरी होने की वज़ह से जहाँ सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का घाटा बढ़ा है, वहीं बैंकों की परिचालन लागत भी बढ़ी है। इसके अलावा बैंकिंग सेवाओं पर सरकारी बैंकों का मार्जिन भी पहले की तुलना लगातार कम होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने दो ही विकल्प बचते हैं कि या तो इन्हें बंद कर दिया जाए या फिर इनका विलय कर दिया जाए।

संभवतः इन समस्याओं पर विचार करते हुए घाटे में चल रहे बैंकों को मजबूत बैंकों के साथ मिलाकर उन्हें स्थिरता देने के लिये ही भारत सरकार बैंकों का विलय कर रही है। सरकार का यह मानना है कि ऐसा करने से बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी और उनकी परिचालन लागत में भी कमी आएगी।

A. भारत में बैंकों के विलय की पृष्ठभूमि और मौजूदा बैंकिंग परिदृश्य

- छोटे या घाटे में चल रहे बैंकों का आपस में विलय कर देना दुनिया की लगभग हर अर्थव्यवस्था में होता आया है। भारत में भी बैंकों के विलय की यह प्रक्रिया लंबे समय से अपनाई जाती रही है, जिसके चलते देश में अब तक छोटे-बड़े कई विलय किये जा चुके हैं।
- केंद्र सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह सेके किसी भी राष्ट्रीय बैंक का किसी दूसरे राष्ट्रीय बैंक या किसी अन्य बैंकिंग संस्थान के साथ विलय कर सकती है। इस क्रम में राष्ट्रीयकृत बैंकों का पहला विलय वर्ष 1993-94 में पंजाब नेशनल बैंक और न्यू इंडिया बैंक के विलय को माना जाता है।
- इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय पर विचार करने के लिये कई समितियाँ गठित की गईं- वर्ष 1998 में नरसिम्हन समिति, वर्ष 2008 में लीलाधर समिति और वर्ष 2014 में नायक समिति।

हालिया तीन बैंकों का विलय और उनका NPA[5,6]

- अगर वर्तमान बैंकिंग ताने-बाने को देखें तो देश में इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 19 बैंक कार्यरत हैं, जिनमें बैंकिंग सेक्टर के कुल NPA में इन बैंकों की हिस्सेदारी लगभग 90 फीसदी है।
- हाल ही में जिन तीन बैंकों का विलय हुआ उनमें सबसे ज्यादा NPA अनुपात 22 फीसदी देना बैंक का था, बैंक ऑफ बड़ौदा का NPA अनुपात 12.4 फीसदी और विजया बैंक का NPA अनुपात 6.9 फीसदी था, लेकिन विलय के बाद अस्तित्व में आए नए बैंक का कुल NPA अनुपात 13 फीसदी हो गया।
- इनमें से देना बैंक की बेहद ख़राब आर्थिक स्थिति के चलते ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने उसे तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई ढाँचे (Prompt Corrective Action Framework) के तहत ऋण देने से प्रतिबंधित कर दिया था।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ऋण वसूली की स्थिति इतनी गंभीर रही कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए मूल्य के NPA को राइट ऑफ करना पड़ा यानी बट्टे खाते में डालना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि बैंकों ने मान लिया कि इन ऋणों की वसूली अब कभी नहीं हो पाएगी।

बीते कुछ समय से स्थिति यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केवल अपने NPA के कारण ही चर्चा में हैं। ऐसे में सरकार के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पटरी पर लाने के उपाय करना एक बड़ी चुनौती बन गया है।

क्या बैंकों का विलय ही एकमात्र उपाय है?

ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बैंकों के विलय से घाटे में चल रहे बैंक उबर सकेंगे? ऐसा करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के भविष्य, इनसे जुड़े बैंक कर्मचारियों, बैंकिंग सेवाओं और उनके ग्राहकों पर क्या असर होगा?

- दरअसल, लगातार घाटे में चल रहे सरकारी बैंकों की सेहत ठीक करने के लिये सरकार ने बैंकों के विलय की प्रक्रिया शुरू की है। इसका एक बड़ा कारण NPA के चलते घाटे में फँसे बैंकों को उबारना है।
- इसका एक अन्य कारण बैंकों की भारी-भरकम परिचालन लागत को कम करना है। सरकार का मानना है कि बैंकों की परिचालन लागत के मुकाबले उनसे होने वाला मुनाफा कम है तथा इस खर्च को कम करना ज़रूरी हो गया है।
- आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्द्धा और अधिक बढ़ेगी। ऐसे में छोटे बैंकों का बाज़ार में टिके रह पाना आसान नहीं होगा। इसलिये बैंकिंग सुधार के तहत विलय द्वारा प्रबंधन खर्च में कमी लाने की कोशिश की जा रही है।
- विलय से बैंकों के निदेशकों सहित उच्च प्रबंधकों और सरप्लस कर्मचारियों की संख्या तो कम होगी ही, बैंक एक-दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि विलय के बाद परिसंपत्तियों से होने वाली

साझा-आय (Mutual Income) बैंकों के घाटे को कम करने में मददगार हो सकेगी।

- बैंकों का विलय किये जाने का एक बड़ा कारण बढ़ते ऋण के मुद्दे से निपटना भी है। ये वे ऋण हैं जो कॉर्पोरेट उधारकर्त्ताओं ने लिये हुए हैं और वे इसका भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर बैंकों से कर्ज़ मिलना कठिन हुआ तो कारोबार और अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।

इन सब के अलावा वैश्विक जोखिम प्रबंधन मानक बासेल-III के तहत पूंजी नियमों को लागू करने के लिये भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी और इतनी बड़ी पूंजी की व्यवस्था केवल सरकार के बूते पूरा कर पाना कठिन होगा, इसलिये भी बैंकों का विलय करना पड़ रहा है। दरअसल, बैंकों का विलय होने से उनका पूंजी आधार बढ़ेगा जिससे वे बड़ी परियोजनाओं के लिये अधिक कर्ज़ देने में सक्षम हो सकेंगे।[9,10]

हालिया विलय प्रक्रिया के प्रभाव

- विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो जाने के बाद विजया बैंक और देना बैंक के सभी व्यवसाय, परिसंपत्तियाँ, अधिकार, स्वामित्व, दावे, लाइसेंस, स्वीकृतियाँ, अन्य विशेषाधिकार और समस्त उधारी, देनदारियाँ और दायित्व बैंक ऑफ बड़ौदा को हस्तांतरित हो गए हैं। साथ ही इन बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों का समायोजन बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है। इस विलय से सार्वजनिक बैंकों की संख्या 21 से घटकर 19 रह गई है और बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक तथा निजी क्षेत्र के ICICI बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक भी बन गया है।

बैंक विलय से होने वाले लाभ

- माना जा रहा है कि छोटे और भारी घाटे में चल रहे बैंकों का विलय बड़े बैंकों में करने से सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली मज़बूत होगी।
- इससे बैंक मजबूत और टिकाऊ तो बनेंगे ही, साथ में उनकी ऋण देने की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे बैंकों के बैड लोन के मुद्दे को हल करना और ऋण की बढती मांग को पूरा करना आसान हो सकेगा।
- बैंकों के विलय से इनकी संख्या तो कम होती ही है, साथ ही इन्हें बेहतर तरीके से पूंजी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
- बैंकों के विलय से बैंकिंग सेवाओं का दायरा भी बढ़ जाता है, और ग्राहकों को देशभर में आसानी से बैंकिंग सेवाएँ मिल जाती हैं।
- देखा यह गया है कि विलय से बैंकों की परिचालन क्षमता बढ़ती है तथा संचालन लागत में कमी आती है। इससे बैंकिंग गतिविधियों में वृद्धि तथा बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार भी होता है।

विरोध भी होता है

सरकार का कहना है कि बैंकों के विलय से कर्मचारियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और उनकी सेवा शर्तों में भी कोई बदलाव नहीं होता और न ही किसी की छंटनी की जाती है । लेकिन बैंक कर्मचारी यूनियन्स विलय का कड़ा विरोध करती हैं। उनका मानना है कि इससे कर्मचारियों के हितों पर बुरा असर पड़ता है तथा क्षेत्र में रोज़गार सृजन और ग्राहक सेवाएँ भी प्रभावित होती हैं। चूँकि विलय प्रक्रिया में शामिल बैंकों की कई शाखाएँ एक ही जगह पर काम कर रही होती हैं और ऐसे में यदि इनमें से कुछ को बंद करना पड़ता है तो कर्मचारियों के समायोजन और ग्राहकों के हितों पर नकारात्मक असर पड़ता है।

बैंकों के विलय का ग्राहकों पर असर

विलय के बाद बैंक के ग्राहकों को नया अकाउंट नंबर और कस्टमर ID मिल सकती है। ग्राहकों को नए अकाउंट नंबर या IFSC कोड की जानकारी आयकर विभाग, बीमा कंपनियों आदि के साथ अपडेट करानी पड़ेगी। ग्राहकों को नई चेकबुक के साथ नया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी इश्यू हो सकता बैंक की कुछ शाखाएँ बंद हो सकती हैं और ग्राहकों को नई शाखा में जाना पड़ सकता है।

धोखाधड़ी को भी रोकना होगा

ऐसा माना जाता है कि विलय के बाद परिचालन एवं अन्य खर्चों में कटौती होने से बड़े बैंकों का मुनाफा बढ़ता है। साथ ही बैंकों के पास पूंजी उपलब्ध रहने से वे सस्ती दरों पर ग्राहकों को कर्ज़ दे सकेंगे। विलय के बाद पर्याप्त मानव संसाधन की मदद से NPA और जोखिम प्रबंधन के मोर्चे पर बड़े बैंक बेहतर तरीके से काम कर सकते है, लेकिन इसके साथ धोखाधड़ी की संभावना भी बढ़ सकती है।

अभी हाल ही में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी में रिज़र्व बैंक ने जो आँकड़े उपलब्ध कराए हैं, उनसे पता चलता है कि वित्त वर्ष 2018-19 में बैंक धोखाधड़ी के 6800 मामले सामने आए, जिनमें 71,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। इस तरह बैंक धोखाधड़ी के मामलों की राशि में एक साल में 73% की वृद्धि हुई है, क्योंकि 2017-18 में ऐसे 5916 मामलों में 41,167.03 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। पिछले 11 वित्त वर्षों में फ्रॉड के कुल 53,334 मामलों में 2.05 लाख करोड़ रुपए फँसे हैं।

विलय के साथ अन्य कदम उठाना भी ज़रूरी

हालाँकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय उन्हें NPA की समस्या और पूँजी की कमी से बचाने का कोई रामबाण उपाय नहीं है। इसके साथ-साथ NPA वसूली के लिये एकीकृत प्रयास, पूंजी प्रबंधन, परिचालन लागत और अन्य खर्चों में कटौती, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन में गुणवत्ता का समावेश, ऋण वसूलने के लिये बैंक के उचाधिकारियों को अधिकार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति आदि उपायों को भी लागू करने की ज़रूरत है।[11]

संदर्भ

[1] Today Bank is Open - बैंक अवकाश से सम्बन्धित विषयों जानकारी

[2] भारतीय बैंकिंग इतिहास

[3] भारत में वित्तीय संस्थान

[4] बैंकों का राष्ट्रीयकरण

[5] बैंक राष्ट्रीयकरण से बदली थी तस्वीर (वेबदुनिया)

[6] बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी (देशबंधु)

[7] भारतीय बैंकिंग एवं मुद्रा से जुड़े अहम तथ्य

[8] "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल (PDF) से 24 जनवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2010.

[9] http://www.rbi.org.in/commonman/Upload/English/Content/PDFs/71206.pdf Archived 2010-12-14 at the Wayback Machine के पृष्ठ 2

[10] www.rbi.org.in/commonman/Upload/English/Content/PDFs/71207.pdf

[11] भारतीय रिजर्व बैंक 31 के रूप में मार्च 2008 www.rbi.org.in/commonman/Upload/English/Content/PDFs/71207.pdf